न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्ववाद संख्या 1/698/2015

वउनवान

1. हुकमसिंह पुत्र देवकरण जाति राजपूत निवासी नगला जादू तहसील कठूमर जिला अलवर।

..........वादी

बनाम

1. रघुवीरसिंह पुत्र छगनसिंह जाति राजपूत निवासी नगला जादू
2. गणपतसिंह पुत्र छगनसिंह जाति राजपूत निवासी नगला जादू
3. लालसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति राजपूत निवासी नगला जादू
4. दिनेशसिंह पुत्र रघुवीरसिह जाति राजपूत निवासी नगला जादू
5. नेपालसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति राजपूत निवासी नगला जादू
6. नरेन्द्रसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति राजपूत निवासी नगला जादू तहसील कठूमर जिला अलवर
7. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थितः– श्री सुभाषचन्द शर्मा अधिवक्तागण वादीगण

श्री राधावल्लभ शर्मा – अधिवक्ता प्रतिवाधिगण

निर्णय

दिनांक 31.7.23

वादी द्वारा प्रस्तुतवाद घोशणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य के इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 319 रकवा 0.07 हे. 321/435 रकवा 0.11 हे. 318 रकवा 0.08 हे. 321 रकवा 0.11 हे. ग्राम नगला जादू तहसील कठूमर में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 319, 321/435 वादी का कब्जा [illegible]दारी की आराजी है जिस पर वादी सदैव से यानि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] से काविज रहकर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है वादी का उक्त आराजी पर [illegible] से लगातार [illegible] होने की वजह से प्रतिकूल कब्जा है कानूनन जिस आराजी [illegible] किसी व्यक्ति का 12 [illegible] से अधिक का कब्जा काश्त हो उसे उस आराजी के स्वतः ही बाई आपरेशन ऑफ लॉ एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है। प्रतिवादी सं0 1–2 का विवादित आराजी पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 17:26:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

कभी कब्जा नहीं रहा और ना अव है विवादित आराजी पर वादी का लगातार कब्जा होने से विवादित आराजी वावत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। अतः वादी ने विवादित आराजी वावत खातेदारी की घोशणा कराने प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने व वाद वादी मुताविक अनुतोश डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया।प्रतिवादी सं0 1, 2, 4 एंव 5 ने जवाव दावा पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी वादी की तन्हा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी कभी नहीं रही और ना इस पर वादी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व कभी कब्जा रहा और ना विवादित आराजी पर मौके पर वादी का कब्जा है। विवादित आराजी पर वादी का 12 साल से अधिक समय से कब्जा होने वाली बात गलत है। विवादित आराजी वावत प्रतिवादी सं0 1–2 का नाम सही दर्ज है। वादी का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है अतः वादी किसी तरह की घोषणा कराने का अधिकारी नहीं है ना ही सावित है उक्त सभी आराजीयात् का तहसीलदार कठूमर के यहॉ सन् 1993 में तकासमा करा लिया था। मुताविक तकासमा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मौके पर कावित है अतः वाद वादी खरिज योग्य है जिससे कारण वादी के वाद सावित ना होन के कारण खारिज किया जावें।

वाद संख्या 1/682/2015

1. रघुवीरसिंह पुत्र छगनसिंह जाति राजपूत निवासी नगलाजादू तहसील कठूमर जिला अलवर।

—— वादी

बनाम

1. हुकमसिंह पुत्र देवकरण जाति राजपूत निवासी नगलाजादू
2. मातादीन पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी नगलाजादू
3. देवेन्द्रसिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति राजपूत निवासी नगलाजादू
4. विशाल पुत्र मातादीन जाति राजपूत निवासी नगलाजादू
5. बलवीरसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी नगलाजादू

—— प्रतिवादीगण

6. गणपतसिंह पुत्र छगनसिंह जाति राजपूत निवासी नगलाजादू

—— तरo प्रतिवादी

दावा हुक्मइन्तनाई दवामी

वादी द्वारा प्रस्तुत दावा तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 319 रकवा 0.07 हे. 321/435 रकवा0.11 हे. ग्राम नगलाजादू

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 17:26:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी वादी एंव तरतीवी प्रतिवादी की कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है जिस आराजी को वादी एंव तरतीवी प्रतिवादी शामलात मे काविज रहकर सुविधानुसार उपयोग एंव उपभोग कर रहे है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नही है प्रतिवादीगण जवर्दस्त किस्म के व्यक्ति है जो विवादित आराजी पर वादी एंव तरतीवी प्रतिवादीगण के उपयोग एंव उपभोग में बाधा पैदा करते है जवरन वेदखल कर. कब्जा करने की धमकी देते है। जवकि प्रतिवादीगण को ऐसा करन का अधिकार नहीं है यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक ईरादों में कामयव हो गये तो वादी तवाह एंव वर्वाद हो जावेगा दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे वादी को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। अतः वादी ने प्रतिवादीगण को स्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द कराने व दावा मुताविक अनुतोश डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादीगण ने जवाव दावा पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी से वादी व तरतीवी प्रतिवादी का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है बल्कि प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी की आराजी है जिस पर पतिवादी सं0 1 वक्त लागू होने राजस्थान का तकारी अधिनियम के पूर्व से काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। खसरा नम्बर 319 के तरफ दक्षिण व पश्चिम को प्रतिवादी सं0 1 ने अपनी निजी लागत से पशुओं से सुरक्षा हेतु बाउण्ड्री का निर्माण अर्सा करीब 30 साल पूर्व कराया थां वादी का विवादित आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा लेकिन वादी जबर्दस्त व्यक्ति है जव प्रतिवादी जव विवादित आराजी पर का त करने जाता है तो वादी लाठी डण्डा लेकर आ जाता है झगडा करता है जान से मारने की धमकी देता है। विवादित आराजी पर वादी व तरतीवी तरतीवी प्रतिवादी का कोई कब्जा नहीं है वादी को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। नाकाविज वादी का दावा खारिज किया जावे।

तरतीवी प्रतिवादी सं0 6 ने दावा के तथ्यों को स्वीकार करते हुये अपना जवाव दावा पेश किया है व दावा वादी मुताविक अनुतोश डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वकुलाय की सहमति से वउनवान मुकदमा रघुवीरसिंह बनाम हुकमसिंह दावा को हुकमसिह बनाम रघुवीरसिह दावा के साथ कनसोलिडेट किया गया। दोनों दावों का निस्तारण एक ही निर्णय [illegible] जा रही है।

वादी हुकमसिंह ने अप[illegible] जमाबन्दी संवत् 2069 प्रदर्श–1 वाके ग्राम नगला जादू की सत्य प्रतिलिपि पेश की [illegible] पत्रावली है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 17:26:16 IST
Reason: SelfAttested

वादी हुकमसिंह ने अपने दावा के समर्थन में गवाह पी डब्ल्यू 1 हुकमसिंह, पी डब्ल्यू 2 नेतराम, पी डब्ल्यू 3 गजराज, पी डब्ल्यू 5 रूपसिंह, व रघुवीरसिंह का शपथ पत्र पेश किये है।प्रतिवादी ने अपने जवाव के समर्थन में जमावन्दी संवत् 2069 से 2072 वाके

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

ग्राम नगलाजादू की जमाबन्दी पेश की है। प्रतिवादी रघुवीरसिंह डी डब्ल्यू 1 के रूप में अपने वयान लेखवद्व कराये है।

प्रतिवादी रघुवीरसिंह वगैरा ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2036, नकल इन्तकाल संख्या 212, नकल जमाबन्दी संवत् 2053 किता 2, नकल इन्तकाल संख्या 216, नकल इन्तकाल संख्या 217 नकल जमाबन्दी संवत् 2057 से 2060 नकल जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 वाके ग्राम नगला जादू की सत्य प्रतिलिपी पेश की है। तथा डी डब्ल्यू 1 के रूप में प्रतिवादी हुकमसिंह ने अपने वयान रेकार्ड कराये है।

वहस सुनी गयी। दावा में कुल 5 तनकियां कायम की गयी जिनक विन्दुवार निस्तारण निम्न प्रकार से किया जा रहा है –

1. आया वादी आराजी खसरा नम्बर 319 रकवा 0.07 हे. 321/435 रकवा 0.11 हे. ग्राम नगलाजादू तहसील कठूमर का कृशक खातेदार है तथा खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है इस तनकी को सावित करने का भार वादी पर है। वहस सुनी गयी। पत्रावली के तथ्यों तथा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये वादी का पुराना कब्जा बताते हुये एडवर्स पजेशन के आधार पर विवादित आराजी की खातेदारी की घोशणा कराने व प्रतिवादीगण को डिकी हुक्मइन्तनाई दवामी से पाबन्द कराने का निवेदन किया है विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी वहस के दौरान अधिवक्ता वादी के कथनो का विरोध करते हुये कथन किया कि विवादित आराजी से वादी का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है ना कभी कब्जा रहा और ना अव है। विवादित आराजी प्रतिवादी 1–2 रघुवीरसिंह, गणपतसिंह की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर प्रतिवादी सं0 1–2 काविज रहकर सुविधानुसार उपयोग एंव उपभोग कर रहे है। वादी ने गलत तथ्यों पर दाव पेश किया है जो खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। वादी ने अपने दावा के समर्थन में पी डब्ल्यू 1 जमाबन्दी हाल पेश की है जिसमें विवादित आराजी प्रतिवादी सं0 1–2 की खातेदारी में दर्ज है। जवकि वादी ने दावा प[illegible]ान के आधार पर दावा डिकी किये जाने का निवेदन किया है लेकिन वादी ने विवादित आराजी पर पुराना कब्जा सावित करने के लिये कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है। गवाह वादी विवादित आराजी पर वादी का कब्जा बताते है ज[illegible] वसनीय नहीं है। पुराना कब्जा सावित करने के लिये कोई प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है विवादित आराजी प्रतिवादी रघुवीरसिंह व हुकमसिंह की खातेदारी में दर्ज है। अतः वादी अपने पुराना

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 17:26:16 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा सावित करने मे असफल रहा है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादी वहक प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2– इस प्रकार से है कि आया वादी प्रतिवादी को डिकी हुक्मइन्तनाई दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है इस तनकी को सावित करने का भार वादी पर है। तनकी सं0 1 के विस्तृत विवेचन से विवादित आराजी पर वादी का कब्जा सावित नही हुआ बलिक विवादित आराजी प्रतिवादी सं 1–2 की खातेदारी में दर्ज है। एक खातेदार का तकार को पाबन्द नहीं किया जा सकता। अतः वादी प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है।अतः यह तनकी विरूद्व वादी वहक प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 3 आया आराजी खसरा नम्बर 319, 321/435 वाके ग्राम नगलाजादू मुताविक तकासमा प्रतिवादी सं0 1–2 के तन्हा हक हिस्सा व कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस कारण वादी का वाद मेण्टनेविल ना होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है इस तनकी को सावित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। वादी ने अपने समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2036, नकल इन्तकाल संख्या 212, नकल जमाबन्दी संवत् 2053 किता 2, नकल इन्तकाल संख्या 216, नकल इन्तकाल संख्या 217 नकल जमाबन्दी संवत् 2057 से 2060 नकल जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 पेश की है। जिनके अवलोकन से खसरा नम्बर 302, 309, 313, 318 वादी एंव तरतीवी प्रतिवादी की शामलात खातेदारी की आराजी थी जिसका इन्हांने तहसीलदार कठूमर के यहां सन् 1993 में तकासमा कर लिया। विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1–2 के हक हिस्सा व कब्जे में आई है जिस पर प्रतिवादी सं0 1–2 रघुवीरसिंह व गणपतसिंह काविज रहकर काश्त कर रहे है राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से विवादित आराजी पर प्रतिवादी सं0 1–2 की खातेदारी व कब्जा सावित है अतः यह तनकी वहक प्रतिवादीगण विरूद्व वादी तय की जाती है।

तनकी संख्या 4– आया प्रतिवादी उक्त आराजी का काविज कृशक खातेदार है तथा वादी का डिकी हुक्मइन्तनाई दवी से पाबन्द कराने का अधिकारी है इस तनकी को सावित करने का भार प्रतिवादी पर है। तनकी संख्या 3 विस्तृत विवेचन से प्रतिवादी सं0 1–2 के हक में तय की गयी है। प्रतिवादी सं0 1–2 का विवादित आराजी पर कब्जा व खातेदारी पाई गयी है। अतः प्रतिवादी वादी का डिकी हुक्मइन्तनाई दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है। अतः यह तनकी वहक प्रतिवादीगण विरूद्व वादी तय की जाती है।

तनकी संख्या 5 अनुतोश की है। उपरोक्त तनकियों के विस्तृत विवेचन से विवादित अराजी पर वादी का कोई कब्जा नहीं पाया गया है बल्कि विवादित आराजी प्रतिवादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी सावित है। प्रतिवादी सं0 1–2 का

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 17:26:16 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा सावित है। अतः वादी दावा हाजा में किसी तरह का अनुतोश प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः दावा वादी वाद संख्या 1/698/15 इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी सावित ना होने से आंशिक रूप से स्वीकार कर शेष दावा खारिज किये जाने योग्य पाया जांता है तथा वाद संख्या 1/682/15 हुक्मइन्तनाई दवामी सावित होने से डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादी वाद संख्या 1/698/15 वउनवान हुकमसिंह बनाम रघुवीरसिंह इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई को अशिंक रूप से स्वीकार करते हएे आदेश दिया जाता है की प्रतिवादीगण आराजी खसरा नम्बर 318 रकबा 0.8 हे0 321 रकबा 0.11 हे0 वाके ग्राम नगला जादू तह0 कठूमर मे वादी हुकमसिंह के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें। जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करें। शेष वाद दवामी सावित ना होने से खारिज किया जाता है तथा वाद संख्या 1/682/15 दावा वउनवान रघुवीरसिंह बनाम हुकमसिंह हुक्मइन्तनाई दवामी सावित होने से डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण हुकमसिंह वगैरा को स्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 319 रकवा 0.07 हे. 321/435 रकवा 0.11 हे. वाके ग्राम नगलाजादू तहसील कठूमर में वादी रघुवीरसिंह व तरतीवी प्रतिवादी गणपतसिंह के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें। जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
कठूमर (अलवर)

आज 31.7.23 दिनांक को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
कठूमर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 17:26:16 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिकी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/698/2015

वउनवान

1. हुकमसिंह पुत्र देवकरण जाति राजपूत निवासी नगला जादू तहसील कठूमर जिला अलवर।

वादी

वनाम

1. रघुवीरसिंह पुत्र छगनसिंह जाति राजपूत निवासी नगला जादू
2. गणपतसिंह पुत्र छगनसिंह जाति राजपूत निवासी नगला जादू
3. लालसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति राजपूत निवासी नगला जादू
4. दिनेशसिंह पुत्र रघुवीरसिह जाति राजपूत निवासी नगला जादू
5. नेपालसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति राजपूत निवासी नगला जादू
6. नरेन्द्रसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति राजपूत निवासी नगला जादू तहसील कठूमर जिला अलवर
7. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादी वाद संख्या 1/698/15 वउनवान हुकमसिंह बनाम रघुवीरसिंह इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई को अशिंक रूप से स्वीकार करते हऐ आदेश दिया जाता है की प्रतिवादीगण आराजी खसरा नम्वर 318 रकवा 0.8 हे0 321 रकवा 0.11 हे0 वाके ग्राम नगला जादू तह0 कठूमर मे वादी हुकमसिंह के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें। जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करें। शेष वाद दवामी सावित ना होने से खारिज किया जाता है तथा वाद संख्या 1/682/15 दावा वउनवान रघुवीरसिंह वनाम हुकमसिंह हुक्मइन्तनाई दवामी सावित होने से डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण हुकमसिंह वगैरा को स्थाई निशेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि [illegible] खसरा नम्वर 319 रकवा 0.07 हे. 321/435 रकवा 0.11 हे. वाके [illegible] में वादी रघुवीरसिंह व तरतीवी प्रतिवादी गणपतसिंह के कब्जे काश्त में किसी तरह [illegible] व मजाहमत पैदा ना करें। जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 17:26:16 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 31.7.23 को यह पर्चा डिकी मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)